

स०स०-16/एम.1-60/2025

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा मे,

प्रभारी पदाधिकारी

वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, एनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,

पुराना सचिवालय, पटना-800015

पटना, दिनांक-

विषय:-सुपौल जिला में कार्यरत नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंधमें।

प्रसंग:- वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग का पत्रांक PCFC/MED/RACS/2024/0640/2088(25) dated 27-12-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सबध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन सख्या 08/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या-305(आ चि), दिनांक-14.03.2024 द्वारा यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों को पूर्णतः औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण तदुपरात आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरात स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना स०-743(आ चि), दिनांक-19.07.2024 द्वारा यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला संयुक्त औषधालयों/राजकीय औषधालयों/आयुष कॉलेज अस्पतालों आदि में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक 1397(आ०चि०) दिनांक 20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है:-

21/12/24

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिसका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डा० इरफान अहमद यूनानी चि० पदा०	अ०प्रा०स्वा० केन्द्र चोंदीपार	15 03 2024 से 19 07 2024 127 दिन	शून्य	16112425056009	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा में
2	डा० नरोज आलम, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	समुदायिक स्वा०केन्द्र, भपटियाही	18 03 2024 से 19 07 2024 124 दिन	शून्य	19112425056598	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा में

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
विश्वासभाजन

ह०/—


सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-16/एम.1-60/2025-595 (आ.चि.) पटना, दिनांक- 22.4.2026

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सिविल सर्जन, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी/संबधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अ०प्रा०स्वा०के०, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी/संबधित यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव